तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
10.09.25	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री मुकेश जैन, अभिभाषक प्रार्थीगण। श्री मनीष पाण्डिया, अभिभाषक अप्रार्थीगण। **आदेश** 1. हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–230 के अन्तर्गत न्यायालय उपखंड अधिकारी, निवाई जिला टोंक द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–07–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद विवादित आराजी बाबत न्यायालय उपखंड अधिकारी, निवाई के समक्ष प्रस्तुत किया। दौराने वाद प्रार्थी ने अपने वाद को साबित करने हेतु ग्राम पंचायत ललवाडी की पत्रावली संख्या 6 निर्णित दिनांक 22.09.1983 को तलब करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 31.07.2004 से खारिज किये जाने से व्यथित होकर हस्तगत निगरानी माननीय मण्डल में पेश की गई है। 3. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष को निगरानी पर सुना गया। 4. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि प्रार्थीगण ग्राम पंचायत ललवाडी के समक्ष वादी/प्रार्थी एवं प्रतिवादी / अप्रार्थी के मध्य चलें विवाद के सम्बन्ध में पत्रावली तहत न्यायालय के समक्ष मंगवाना चाहता था क्योंकि उक्त पत्रावली में अप्रार्थी द्वारा दिये गये बयान व तत्समय देखा गया मौका जो सभी की उपस्थिति में था के सम्बंध में आवश्यक था जिसकी प्रमाणित सत्य प्रति तहत न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवा दी गई थी। उक्त तथ्य को इग्नोर करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि नामान्तरकरण की कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसिडिंग है यह बात सही है किन्तु उक्त पत्रावली के अन्तर्गत मांगीलाल द्वारा दिये गये बयान महत्वपूर्ण है जो साक्ष्य में लिये जाने आवश्यक है और इसके	

अतिरिक्त मौका रिर्पोट जो कोरम द्वारा सभी पक्षकारान की उपस्थिति में की गई थी, भी कब्जे बाबत आवश्यक दस्तावेज है जिसको साक्ष्य में लिया जाना परमावश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वादी जो अपना वाद लेकर आया है उसे अपना वाद साबित कराने के लिये आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था जिससे अधीनस्थ न्यायालय को भी अपना निर्णय न्यायपूर्वक पारित करने में सहुलियत रहती। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि पत्रावली को मंगवाने अथवा न मंगवाने के सम्बन्ध में न्यायालय को बयनामा निरस्त करने संबंधि आदेश पारित नहीं करना है बल्कि पत्रावली में दिये गये बयान और साक्ष्य के आधार पर अपना निर्णय पारित करना है। उक्त पत्रावली को यदि मंगवा लिया जाता है तो उससे मुकदमें पर क्या असर पड़ेगा यह न्याय करना है न कि किसी बयनामें को निरस्त कराना। अन्त में उन्होनें प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करने तथा आक्षेपित आदेश को निरस्त कर चाही गई वांछित पत्रावली तलब किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

5. उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने में किसी प्रकार की अवैधानिकता कारित नहीं की है। प्रार्थी द्वारा हैरान परेशान करने व वाद के विचारण में देरी करने की नीयत से प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय के आदेश में क्षेत्राधिकार संबंधी अथवा विधिपरक कोई त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य आदेश में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त करने का मुख्य आधार अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि प्रार्थीगण द्वारा तलब करायी जाने वाली पत्रावली नामांतरकरण कार्यवाही से संबंधित है। नामांतरकरण की कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसिडिंग है तथा किसी के अधिकार व हक का निर्धारण नहीं करती है। इसके अतिरिक्त बयान फोटो प्रति मांगीलाल में उसने उसके साथ धोखाधड़ी होना जाहिर किया है जो सिविल न्यायालय में बयनामा निरस्तीकरण के वाद में औचित्यपूर्ण है। इस न्यायालय को किसी भी बयनामा को निरस्त करने का अधिकार नहीं है। जहां तक मौका

रिपोर्ट कोरम का संबंध पक्षकारान के कब्जा साबित करने से है यह वादी व प्रतिवादी द्वारा इस वादमें प्रस्तुत अपने गवाह के बयान द्वारा प्रस्तुत कर चुके है। ऐसी स्थिति में उक्त वर्णित दोनों दस्तावेजों के लिए पत्रावली संख्या 6 ग्राम पंचायत ललवाडी की तलबी औचित्यपूर्ण नहीं है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र युक्तिसंगत कारण अंकित करते हुए खारिज किया है।

8. अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के अवलोकन से जाहिर है कि उन्होनें प्रार्थना पत्र को निस्तारित करने में किसी प्रकार की कोई तात्विक एवं कानूनी त्रुटि कारित नहीं की है। हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार निगरानी का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में विधि अथवा तथ्य सम्बन्धी ऐसी कोई तात्विक त्रुटि कारित नहीं की गई है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज योग्य है।

9. परिणामतः हस्तगत निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर एतद्द्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार नबंर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। तहत का रिकॉर्ड लौटाया जावें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदन लाल नेहरा)
सदस्य